न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

वाद पत्र सं0 : 124 सन 2016

अनवान : —

1. महेन्द्र पुत्र चेतराम जाति छिम्पा निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

— **वादी**

बनाम

1. विजयपाल पुत्र दुलाराम जाति छिम्पा निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. हरिराम पुत्र धन्नाराम जाति छिम्पा निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. ओमप्रकाश पुत्र धन्नाराम जाति छिम्पा निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
4. छगनलाल पुत्र धन्नाराम जाति छिम्पा निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
5. हुकमादेवी पुत्री धन्नाराम जाति छिम्पा निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
6. समादेवी पुत्री धन्नाराम जाति छिम्पा निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
7. चिड़ियादेवी पुत्री धन्नाराम जाति छिम्पा निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
8. सुमित्रादेवी पुत्री धन्नाराम जाति छिम्पा निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
9. सन्तरोदेवी पुत्र धन्नाराम जाति छिम्पा निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
10. विमला पुत्री सोनादेवी पुत्री धन्नाराम जाति छिम्पा निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
11. जसमादेवी पुत्री सोनादेवी पुत्री धन्नाराम जाति छिम्पा निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
12. सन्दीप कुमार पुत्र सोनादेवी पुत्री धन्नाराम जाति छिम्पा निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

— **प्रतिवादीगण**

<u>दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थिति :— श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

<u>निर्णय</u> **दिनांकः** 20/06/2025

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीया ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 97/97 की कुल 7.6260 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि का खाता व लगान संयुक्त है। वाद भूमि पक्षकरान के नाम संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण का सीवं, डोल व लगान संबंधि तनाजात रहते है। प्रतिवादीगण, वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि पर काबिज होना चाहते है इसलिए वादीगण मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अपना खाता व लगान प्रतिवादीगण से अलग करवाना चाहते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:03:16 IST
Reason: SelfAttested

वादीया ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है। वाद वादी राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बडबिराना में मजमे आम में प्राथमिक डिक्री किया गया। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीया डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीया मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 97/97 की कुल 7.6260 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 महेन्द्र कुमार पुत्र चेतराम जाति छीपा(छीपी) सा0 देह खातेदार– ख0न 325/1 की 0.506, 338/1 की 2.036 हैक्ट कुल रकबा 2.542 हैक्ट बारानी प्रथम

2 ओमप्रकाश पुत्र धनाराम, विजयपाल पुत्र दुलाराम, हरीराम पुत्र पुत्र धनाराम (फौत) जाति छिम्पा सा0 देह खातेदार, कृष्णा पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन आरएमजीबी शाखा दीपलाना, राकेश कुमार पुत्र भूपसिंह जाति जाट सा0 मुन्सरी खातेदार रहन आईसीआईसी शाखा सिकरोड़ी– ख0न0 325/2 की 1.050 हैक्ट, 338/2 की 4.034 हैक्ट कुल रकबा 5.084 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। ख़र्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 20/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:03:16 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

अनवान : –

1. महेन्द्र पुत्र चेतराम जाति छिम्पा निवारी बडबिराना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. विजयपाल पुत्र दुलाराम जाति छिम्पा निवारी बडबिराना तहसील नोहर।
2. हरिराम पुत्र धन्नाराम जाति छिम्पा निवारी बडबिराना तहसील नोहर।
3. ओमप्रकाश पुत्र धन्नाराम जाति छिम्पा निवारी बडबिराना तहसील नोहर।
4. छगनलाल पुत्र धन्नाराम जाति छिम्पा निवारी बडबिराना तहसील नोहर।
5. हुकमादेवी पुत्री धन्नाराम जाति छिम्पा निवारी बडबिराना तहसील नोहर।
6. समादेवी पुत्री धन्नाराम जाति छिम्पा निवारी बडबिराना तहसील नोहर।
7. चिड़ियादेवी पुत्री धन्नाराम जाति छिम्पा निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
8. सुमित्रादेवी पुत्री धन्नाराम जाति छिम्पा निवारी बडबिराना तहसील नोहर।
9. सन्तरोदेवी पुत्र धन्नाराम जाति छिम्पा निवारी बडबिराना तहसील नोहर।
10. विमला पुत्री सोनादेवी पुत्री धन्नाराम जाति छिम्पा निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
11. जसमादेवी पुत्री सोनादेवी पुत्री धन्नाराम जाति छिम्पा निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
12. सन्दीप कुमार पुत्र सोनादेवी पुत्री धन्नाराम जाति छिम्पा निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 357 सन 2012 निर्णय दिनांक 20/06/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता स0 97/97 की कुल 7.6260 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1 महेन्द्र कुमार पुत्र चेतराम जाति छीपा(छीपी) सा0 देह खातेदार– ख0न 325/1 की 0.506, 338/1 की 2.036 हैक्ट कुल रकबा 2.542 हैक्ट बारानी प्रथम

2 ओमप्रकाश पुत्र धनाराम, विजयपाल पुत्र दुलाराम, हरीराम पुत्र पुत्र धनाराम (फौत) जाति छिम्पा सा0 देह खातेदार, कृष्णा पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन आरएमजीबी शाखा दीपलाना, राकेश कुमार पुत्र भूपसिंह जाति जाट सा0 मुन्सरी खातेदार रहन आईसीआईसी शाखा सिकरोड़ी– ख0न0 325/2 की 1.050 हैक्ट, 338/2 की 4.034 हैक्ट कुल रकबा 5.084 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 20/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:03:16 IST
Reason: SelfAttested